बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

***

<u>अधिसूचना</u>

पटना—15, दिनांक 27 **नवम्बर**,2018

संख्या—1/मु0—1011/2018—सा0प्र0— 15422 /विभागीय अधिसूचना संख्या—12445 दिनांक—15.09.2018 द्वारा श्री आनंद किशोर, भा0प्र0से0 (बी एच:1996) का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर किये गए पदस्थापन को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम,1959 (बिहार एक्ट—II 1960) की धारा—4 की उप धारा—(1), (2) एवं (4) के तहत पूर्णकालिक करते हुए श्री किशोर के उक्त पदस्थापन को दिनांक—25.09.2017 से अगले तीन वर्षों अथवा राज्य सरकार के अगले आदेश तक के लिए प्रभावी किया गया था।

2. याचिका संख्या—15871/2017 से उद्‌भुत अवमाननावाद (शिव प्रकाश राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) संख्या—1487/2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—09.10.2018 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या—12445 दिनांक—15.09.2018 की कंडिका—2 के उल्लेख— **' अथवा राज्य सरकार के अगले आदेश तक'** को विलोपित करते हुए दिनांक—15.09.2018 की उक्त विभागीय अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27.11.18

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—1/मु0—1011/2018—सा0प्र0— 15422/पटना—15, दिनांक: 27 **नवम्बर,2018**

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा— आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग(कम्प्यूटर सेल) /संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/उप सचिव, कैबिनेट नियुक्ति समिति का सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/ सभी विभाग/ अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैंनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, 3 एवं 6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.11.18

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।